उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 22 /ix-1/2024-106/2012
देहरादूनः दिनांक 09 फरवरी, 2024

अधिसूचना संख्या-18,19,20,21/ix-1/2024-106/2012, दिनांक 09 फरवरी, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा–4 की उपधारा (1क), उपधारा (2), उपधारा (2क) एवं उपधारा (5) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित करों में वृद्वि विषयक हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ परिवहन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्याः 18/IX-1/2024–106/2012
देहरादूनः 09 फरवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 02/IX-1/106/2012/2019 दिनांक 02 जनवरी, 2019 को अतिक्रमित करते हुए नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) एवं स्तम्भ (5) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं:–

सारणी

धारा 4 की उपधारा (1क) के अधीन दुपहिया, तिपहिया मोटर कैब एवं माल यान पर कर की दर

क्र.सं.	यान का विवरण	तिमाही कर की दर (₹ में)	वार्षिक कर की दर (₹ में)	एक बार देय कर की दर (₹ में)
1	2	3	4	5
1.	ड्राईवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले दुपहिया और तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिये	255	880	7700
2.	ड्राईवर को छोड़कर 03 से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिये	310	1100	7700
3.	मालयान जिनका सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उनके भाग के लिये	–	1320	13750

स्पष्टीकरण :

1. सारणी के क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 और क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान जो पहले से पंजीकृत हैं, पर एक बार देय कर जमा करने के विकल्प की स्थिति में एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।
2. विद्युत बैटरी, हाईब्रिड, सोलर पावर अथवा सी0एन0जी0 से चालित वाहनों को देय कर से 50 प्रतिशत के बराबर छूट होगी।
3. सारणी के क्रम संख्या 3 के सम्मुख यथा विनिर्दिष्ट कोई माल यान जब–जब किराये या पारिश्रमिक पर सवारियां ढ़ोते हुए पाया जाय तो यथा स्थिति उसके सम्मुख स्तम्भ 4 या 5 में विनिर्दिष्ट कर के अतिरिक्त 2200 रूपये प्रति सवारी की दर से भी कर देय होगा, जो किसी भी दशा में 6600 रूपये से अधिक नहीं होगा।
4. इस अधिसूचना में निर्धारित दरों के पुनरीक्षण/संशोधन विषयक अन्यथा कोई अधिसूचना निर्गत न किये जाने की स्थिति में, वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं तदोपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को उक्त दरों में पांच प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही प्रभावी हो जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification No. /IX-1/2024-106/IX-1/2012 Dehradun: Dated February, 2024.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 16 /ix-1/2024-106/2012
Dehradun: Dated 09 February, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (1A) of section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification No-02/IX-1/106/2012/2019 dated 02 January, 2019, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3), column (4) and column (5) of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Table

Rate of Tax on Two wheeler, three wheeler motor cab and Goods Vehicle under section (IA) of section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Quarterly rate of tax (in rupees)	Annual rate of tax (in rupees)	Rate of one time tax (in rupees)
1	2	3	4	5
1.	Two wheeler and three wheeler motor cab with seating capacity not more than three exclusive of driver for every seat.	255	880	7700
2.	Three wheeler motor cab with seating capacity more than three persons but not more than six persons exclusive of driver for every seat.	310	1100	7700
3.	Goods vehicle, the gross vehicle weight not exceeding 3000 kilograms for each metric ton of the gross vehicle weight or part thereof.	-	1320	13750

Explanation :

1. Tax on vehicles specified in column 2 against serial no. 1, serial no. 2 and serial no. 3 in the table, which are registered earlier and exercise the option of one time tax, shall be determined after eight percent exemption on the one time tax leviable on such vehicle for each year. But such exemption shall not be more than seventy five percent. For this purpose the age of the vehicle shall be computed from the date of its original registration and period less than one year shall be ignored.
2. Motor Vehicles powered by electric batter, Hybrid, solar power or CNG will be exempted from the tax payable at the rate of 50%.
3. In case a goods vehicle specified against serial no. 3 is found carrying passengers on hire or reward a tax at the rate of rupees Two Thousand Two Hundred Only for each passenger shall be charged in addition to the tax specified in respect of it in column 3 or 4 as the case may be which shall not exceed more than rupees six thousand six hundred rupees in any case.
4. In case no revision/amendment in the rates prescribed under this notification is otherwise made vide a notification, an increase of 5 percent in the said rates will automatically become effective on the first day of Financial Year 2025-26 and threafter every financial year.

By Order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1
संख्याः 17/IX-1/2024–106/2012
देहरादूनः 07 फरवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–03/IX-1/106/2012/2019 दिनांक 02 जनवरी, 2019 को अतिक्रमित करते हुये नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं:–

सारणी

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर

क्र. सं.	यान का विवरण	त्रैमासिक कर की दर (₹ में)	वार्षिक कर की दर (₹ में)
1	2	3	4
1.	(क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब के प्रत्येक सीट के लिये,	550	2100
	(ख) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब वाहन जो कि किराया व भाड़ा पर यात्रियों के परिवहन हेतु वैध परमिट से आच्छादित होने के अतिरिक्त सीमित मात्रा में माल ढोने के लिए भी पृष्ठांकित हैं, उनके लिये प्रतिसीट क्षमता हेतु (जिसका सकल यान भार 3000 किग्रा तक हो),	660	2475
2.	माल यान, जिनका सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	300	1100
3.	(क) कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	270	1000
	(ख) कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैलर के सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये।	300	1100
4.	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे माल यानों को, जिसके साथ सड़क परिवहन मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हो और जो अपने परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो, के सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये।	165	600
5.	ड्राईविंग स्कूल के स्वामित्व वाले मोटरयान जो चालकों के प्रशिक्षण देने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	600	2200
6.	(क) शिक्षा संस्था बस या स्कूल कैब के प्रत्येक सीट के लिये	110	410
	(ख) निजी सेवा यान के प्रत्येक सीट के लिये	190	660

स्पष्टीकरणः

1. विद्युत बैटरी, हाइब्रिड, सोलर पावर अथवा सी0एन0जी0 से चालित वाहनों को देय कर से 50 प्रतिशत के बराबर छूट होगी।
2. कृषि उपज का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले मालवाहनों के सम्बन्ध में कर की दर क्रम संख्या 2 के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयानों के सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर की, दो तिहाई होगी;
3. क्रम संख्या 6, के सम्मुख स्तम्भ 2(ख) में यथा विनिर्दिष्ट निजी सेवायान जो वातानुकूलित हो, के लिये प्रति सीट कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर से बीस प्रतिशत अधिक होगी;
4. क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यान जो शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को या फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, पर कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट दर की क्रमशः आधा एवं दो तिहाई होगी।
5. इस भाग के क्रम संख्या 1 एवं क्रम संख्या 6 के प्रयोजन के लिये सीट की गणना में ड्राइवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे मालयान जिनकी रजिस्ट्रेशन के दिनांक से आयु 20 वर्ष से अधिक हो तथा माल वाहन के ऐसे माडल जिनका पर्वतीय मार्गों पर संचालन सम्भव नहीं है, के लिये त्रैमासिक कर की दर में रूपये 30.00 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये एवं वार्षिक कर की दर में रूपये 100 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये छूट होगी।
7. इस अधिसूचना में निर्धारित दरों के पुनरीक्षण/संशोधन विषयक अन्यथा कोई अधिसूचना निर्गत न किये जाने की स्थिति में, वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं तदोपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को उक्त दरों में पांच प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही प्रभावी हो जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification No. /IX-1/2024-106/IX-1/2012 Dehradun: Dated February, 2024.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 19 /IX-1/2024-106/2012
Dehradun: Dated 09 February, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 03/IX-1/106/2012/2019 dated 02 January, 2019, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) and column (4) of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Table
Rates of tax on transport vehicles under sub-section (2) of section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Quarterly rate of tax (in rupees)	Annual rate of tax (in rupees)
1	2	4	5
1.	(a) Motor cab (except two wheeler and three wheeler motor cab) and maxi cab for every seat.	550	2100
	(b) Motor cab (except two wheeler and three wheeler motor cab) and maxi cab (the gross vehicle weight not exceeding 3000 Kilograms) covered under valid permit to carry passengers for hire or reward, besides endorsed for carriage of limited quantity of goods, for every seat	660	2475
2.	Goods vehicle gross vehicle weight exceeding 3000 kilograms for each metric ton of the gross vehicle weight or part thereof	300	1100
3.	(a) Tractor which is used for commercial purposes other than agricultural purposes for each metric ton of the unladen weight or part thereof	270	1000
	(b) Trailer which is used for commercial purposes for each metric ton of the gross vehicle weight or part therof	300	1100
4.	Goods vehicles registered under motor vehicle act, 1988 in any other state or in any other country under any other law enforce at that time with which reciprocal arrangements in the matter of road transport have been made and which are authorized to ply in Uttarakhand under the countersignature of their permits for each metric ton of the unladen weight or part thereof	165	600
5.	Motor vehicles owned by driving school and which are exclusively used for imparting instruction to the drivers for each metric ton of the unladen weight or part thereof	600	2200
6.	(a) Educational institution bus or school cab for every seat	110	410
	(b) Private Service Vehicle for every seat	190	660

Explanation:

1. Motor Vehicles powered by electric batter, Hybrid, solar power or CNG will be exempted from the tax payable at the rate of 50%.
2. The rate of tax in respect of the goods vehicle exclusively carrying agricultural produce, instrument, tool, eatable, fertilizer, pesticide and other material and equipment relating agriculture work, shall be two third of the rate specified in column (3) and column (4) in respect of the vehicles specified in column (2) against serial no 2.
3. The rate of tax in respect of air conditioned Privals service vehicle shall be twenty percent more than the rates specified in column (3) and column (4) in respect of the vehicle specified in column (2) (b) against serial no. 6.
4. The rate of tax in respect of the vehicles which are exclusively used for carrying students or workers to and from the educational institution or factory, as the case may be, specified in column (2) against serial no. 1 shall be half and two third respectively of the rate specified in column (3) or column (4).
5. The driver seat shall not be taken into account while computing the seats for the purpose of serial no. 1 and serial no. 6 of this part.
6. The rates of tax in respect of goods vehicle whose age is more than twenty years from the date of its registration and such model of goods vehicles whose operation is not possible on hill routes shall be exempted upto rupees thirty per metric ton or part thereof per quarter or rupees one hundred per metric ton or part thereof per year, as the case may be, as shown against column (2) of serial no. 2 of this part.
7. In case no revision/amendment in the rates prescribed under this notification is otherwise made vide a notification, an increase of 5 percent in the said rates will automatically become effective on the first day of Financial Year 2025-26 and thereafter every financial year.

By Order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 20/ix/2024–106/2012
देहरादूनः 09 फरवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–04/IX–1/106/2012/2019 दिनांक 02 जनवरी, 2019 तथा अधिसूचना संख्या–650/IX-1/2021-106/IX–1/2012 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को अतिक्रमित करते हुए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) एवं स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी
धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन सार्वजनिक सेवायानों पर कर की दर

क्र0 सं0	यान का विवरण	प्रतिसीट कर की दर (₹ में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5
1.	ठेका गाड़ी 12 सीट से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली (मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को छोड़कर)	135	385	1430
2.	(1) राज्य के अन्दर पंजीकृत मंजिली गाडियों तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी मंजिली गाड़ियों को, जिसके साथ सड़क परिवहन के मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हों और जो अपने परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो द्वारा एक माह में तय की गयी 1500 किमी0 की दूरी के लिए:			
	(क) मैदानी मार्ग पर–	110	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
	(ख) पर्वतीय मार्ग पर–	मैदानी मार्ग के लिये निर्धारित दर का आधा	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
	(ग) अलाभकारी मार्ग पर–	मैदानी मार्ग के लिये निर्धारित दर का एक चौथाई	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
	(2) 1500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 के लिये–	रूपये 0.05 प्रतिसीट प्रति कि0मी0 जो उपरोक्त में जोड़ा जायेगा	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
3.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्वामित्वाधीन अथवा निगम के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर संचालित तथा ऐसे अन्य राज्यों या किसी अन्य देश के परिवहन उपक्रमों की मंजिली गाडियां जिसके साथ सड़क परिवहन की पारस्परिक व्यवस्थायें की गई हो, और जो अपने परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में संचालन के लिये प्राधिकृत हो, के द्वारा			
	(क) मैदानी मार्ग पर साधारण बस हेतु–	400	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निदिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
	(ख) मैदानी मार्ग पर वातानुकूलित बस हेतु	600		

क्र0 सं0	यान का विवरण	प्रतिसीट कर की दर (₹ में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5
	(ग) पर्वतीय मार्ग पर–	मैदानी मार्गों के लिए निर्धारित दर का एक चौथाई	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
4.	मोटरयान, जो एक ऐसे मार्ग पर चलते है, जिसके उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न भारत के राज्य में उसके प्रारम्भिक बिन्दु और अंतिम बिन्दु दोनों स्थित हों, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग उत्तराखण्ड राज्य में पडता हो और ऐसे भाग की लम्बाई 16 कि0मी0 से अधिक नहीं हो, के प्रत्येक सीट के लिये	85	230	850

स्पष्टीकरण :

1. विद्युत बैटरी, हाइब्रिड सोलर पावर अथवा सी0एन0जी0 से चालित वाहनों को देय कर से 50 प्रतिशत के बराबर छूट होगी।
2. नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर अनन्य रूप से संचालित अथवा उप नगरीय क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों से जोड़ने वाली नगर बस सेवा के रूप में संचालित मंजिली गाड़ियों को सारणी के मोटर वाहन कर से पूर्णतः छूट होगी।
3. क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यान जो शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को लाने एवं ले जाने के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त होते हैं तथा ऐसे वाहन जो कि फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, के लिये क्रमशः कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दर की क्रमशः आधी एवं दो तिहाई होगी।
4. वातानुकूलित यानों पर प्रति सीट कर की दर इस भाग के स्तम्भ (2) में क्रमांक 4 पर विनिर्दिष्ट यानों को छोड़कर अन्य क्रमांकों पर यथा विनिर्दिष्ट मोटर यानों के लिये स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी।
5. इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 के अधीन किसी मंजिली गाड़ी द्वारा एक मास में तय की गयी दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय, ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।
6. इस भाग के अधीन कर मोटर यान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या पर देय है। इस प्रयोजन के लिये खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा, तथा जहाँ कोई मोटरयान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहाँ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा। सीट की गणना में मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में ड्राईवर की सीट एवं कन्डक्टर की सीट तथा ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में ड्राईवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
7. ऐसे समय तक जब तक कि यथा स्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है, कोई संचालक राज्य परिवहन उपक्रम सहित इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त मासिक तय की गयी दूरी पर कर का भुगतान करेगा।
8. पर्वतीय मार्ग का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मण झूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगर निगम सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।
9. जहाँ किसी मोटर यान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से किया जाता है, जिससे कि वह एक से अधिक श्रेणी के लिये कर योग्य हो जाय, वहाँ देय कर सबसे ऊँची समुचित दर पर होगी। परन्तु मंजिली गाड़ी जिसका संचालन पर्वतीय मार्गों एवं मैदानी मार्गो दोनो में होता है के द्वारा प्रतिमाह तय की गयी दूरी का 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर्वतीय मार्गों पर पड़ता है से इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 के (1)(क) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों के लिये स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर कर देय होगा।
10. इस भाग में उल्लिखित "नगर निगम" और "नगर पालिका" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में उनके लिये दिया गया है।

11. क्रम संख्या 2 (ग) में उल्लिखित अलाभकारी मार्गों की सूची निम्नवत् होगी:

देहरादून सम्भाग	
1. देहरादून–विकासनगर–चकराता–त्यूनी	12. विकासनगर–बडकोट–उत्तरकाशी
2. विकासनगर–चकराता–त्यूनी–आराकोट–चीवा	13. पुरोडी–रावना–डामटा
3. विकासनगर–त्यूनी–अटाल	14. त्यूनी–कथियान–दारागाड–कैराड़
4. विकासनगर–चकराता–लाखामण्डल	15. कोटी–रजाणू
5. कुल्हाल–सहिया–पैनडुलानी	16. अणु–चिल्हाड
6. प्रेमनगर–विकासनगर–कालसी–नागथात–चकराता– त्यूनी	17. नौगांव–पुजेली–राजगडी
7. विकासनगर–कोटी–इच्छाडी–मीनस	18. राजस्तर–राजगड़ी
8. प्रेमनगर–विकासनगर–यमुनाब्रिज–अलगाड–चन्दोगी	19. कथियान–फनारी
9. प्रेमनगर–हनुमानचट्टी वाया कालसी–वड़कोट	20. मुन्सीघाटी–धोईरा
10. विकासनगर–यमुनाब्रिज–नौगांव–पुरोला–मोरी–नैट्वाड–सांकरी सौड	21. सहिया–उत्पाल्टा
11. विकासनगर–यमुनाब्रिज–मंसूरी	22. चकराता से मंगरोली मोटर मार्ग 8.00 कि0मी0।

पौड़ी सम्भाग	
1. कोटद्वार–सतपुली–बगडेयू–बहेडाखाल–डाण्डा नागराजा	11. कोटद्वार–रिखणीखाल–पाणीखाल
2. पौड़ी–कल्जीखाल–भंटी–मुण्डेश्वर	12. गोपेश्वर–सोनला–बछेर–पोखरी
3. पौडी ल्वाली–कालेश्वर	13. गौचर–सिदोली
4. कोट–गढखेत	14. कर्णप्रयाग–पोखरी
5. पौडी–बहेड़ारखाल	15. कर्णप्रयाग–नैनीसैण
6. धुमाकोट–सौन–पीपली	16. गोपेश्वर–मलारी
7. धुमाकोट–बमणीसैण	17. रूद्रप्रयाग–चोपडा–गाडिडहर–
8. कोटद्वार–सतपुली–काण्डाखाल	18. चन्दरनगर–भनाज
9. सतपुली–दुधारखाल	19. मयाली–पंजना
10. कोटद्वार–रिखणीखाल	20. खिर्शु–खेडाखाल–मोलखाहाल– नागर्शु–डाडाखाल।
अल्मोड़ा सम्भाग	
1. पिथौरागढ–वड्डा–झूलाघाट	8. सातसिलिंग–थल–डीडीहाट–ओगला–भागीचौरा–डीडीहाट–दूनाकोट
2. पिथौरागढ–जाखपुरान	9. सातसिलिंग–थल–बागेश्वर
3. पिथौरागढ–वड्डा–क्वीतड़	10. सातसिलिंग–थल–बेरीनाग–गंगोलीहाट एवं राईआगर– बनकोट
4. पिथौरागढ–बांस–ऑवलाघाट	11. थल–पॉखु–धरमघर–पचार
5. पिथौरागढ–ऐंचोली–बढ़ावे	
6. सातसिलिंग–देवलथल–कनालीछीना–पीपना	
7. सातसिलिंग–थल–मुनस्यारी–मदकोट–जौलजीवी	
हल्द्वानी सम्भाग	
1. लोहाघाट–चौमेल	5. लोहाघाट–मायावती
2. लोहाघट–रीठासाहिब	6. लोहाघाट–खेतीखान–ललुवापानी–चम्पावत
3. लोहाघाट–बाराकोट	7. चम्पावत–मंच–तामली
4. लोहाघाट–पंचेश्वर	

12. इस अधिसूचना में निर्धारित दरों के पुनरीक्षण/संशोधन विषयक अन्यथा कोई अधिसूचना निर्गत न किये जाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं तदोपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को उक्त दरों में पांच प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही प्रभावी हो जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification No. /IX-1/2024-106/IX-1/2012 Dehradun: Dated February, 2024.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 20 /IX-1/2024-106/2012
Dehradun: Date 09 February, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (2A) of section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), in supersession of notification no. 04/ix-1/106/2012/2019 dated 02 January, 2019 and notification no. 650/IX-1/2021-106/ix-1/2012 dated 26 October, 2021, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3), column (4) and column (5), of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Table

Rates of tax on public service vehicles under sub-section (2A) of section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Rates of tax per seat (in rupees)		
		Monthly	Quarterly	Yearly
1	2	3	4	5
1.	Contract carriage with seating capacity for more than twelve persons (excluding motor cab and maxi cab)	135	385	1430
2.	(1) State Carriages Registered in the State and in any other state or in any other country under any law for the time being in force with which reciprocal arrangements under Motor Vehicles Act, 1988 have been made in the matter of road transport and which are authorized to ply in Uttarakhand subject to countersignature of their permits, for a distance run in a month upto 1500 kilometers			
	(a) For plain routes	110	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3
	(b) For hill routes	Half of the rate specified for plan routes	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3
	(c) Non profitable route	One fourth of the rate specified for plain route	Three times of the monthly rates specified in column-3	Eleven times of the monthly rates specified in column-3
	(2) For each kilometre exceeding 1500 kilometre	Rs. 0.05 per seat per kilometre which shall be added in the above	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3

Sl. No.	Description of vehicles	Rates of tax per seat (in rupees)		
		Monthly	Quarterly	Yearly
1	2	3	4	5
3.	Stage carriages owned by Uttarakhand Transport Corporation or operated under the corporation on the basis of contract and Stage carriages of Transport undertakings of other state or any other country with which reciprocal arrangements have been made in the matter of road transport and which are authorized to ply in Uttarakhand under countersignature of their permits,			
	(a) On plain routes for ordinary bus	400	Three times of the monthly rate specified of Colum 3	Eleven times of the monthly rate specified of Colum 3
	(b) On plain routes for air conditioned bus	600		
	(c) On hill routes	One fourth of the rate fixed for plain route	Three times of the monthly rate specified of Colum 3	Eleven times of the monthly rate specified of Colum 3
4.	Motor vehicle which operate on the route whose both the starting point and the terminal point situate within the State of India excluding Uttarakhand but part of such route lies with in Uttarakhand and the length of such part does not exceed sixteen kilometers, for every seat	85	230	850

Explanation:

1. Motor Vehicles powered by electric batter, Hybrid solar power or CNG will be exempted from the tax payable at the rate of 50%.
2. Stage carriages exclusively operating within the limits of a Municipal Corporation or Municipality or connecting sub-urban areas to urban areas shall be fully exempted from motor vehicle tax in the table.
3. The rate of tax in respect of vehicles which are exclusively used for carrying students or workers to and from the educational institution or factory, as the case may be, specified in column (2) against serial no. 2. shall be half or two third respectively, as the case may be, of the rate specified in column (3), column (4) and column (5).
4. The rate of tax in respect of air conditioned vehicle shall be twentyfive percent more than the rate specified in column (3), column (4) and column (5) of the vehicles specified in column (2) excluding the vehicles specified at at serial number 4 of the table.
5. The monthly run distance of a stage carriage under column (2) against serial no. 2 of this part shall be such numbers of one way trips as are permitted under the conditions of the permit multiplied by the total kilometers involved in one such trip.
6. The tax payable under this part shall be on the maximum number of seats permitted by the registering authority under the relevant provisions of The Motor Vehicles Act, 1988. For this purpose fifty percent of the sanctioned standing capacity if any, shall be reckoned as additional seating capacity and where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall be regarded as the equivalent to two passenger seats. The conductor's and the driver's seat of stage carriage and driver's seat of contract carriage shall not be included in seats.
7. Until such time as the timings and trips are fixed by The State Transport Authority or The Regional Transport Authority, as the case may be, an operator including the company or state transport undertaking shall pay tax on the monthly run distance to be arrived at on the basis of trips operated by the vehicle prior to the enforcement of this Act.
8. Hill route means and includes all roads within Pithoragarh, Champawat, Almora, Bageshwar, Rudraprayag, Chamoli, Uttarkashi and Tehri Garhwal districts, tehsil Chakrata of Dehradun district and those portions of Nainital and Garhwal district which lies on north of the base of foothills from Tanakpur in the east right along Kathgodam, Ramnagar, Kotdwar to Laxmanjhula in the west and all roads beyond limit of municipal Corporation of Dehradun town towards Mussoorie side.

9. Where a motor vehicle is used for different purposes or in such manner that it is taxable under more than one category of this part, the tax payable shall be at the highest appropriate rate. But a stage carriage which is operating both on hill routes and plain routes and more than eighty percent part of its operation lies in hill routes shall be liable to pay tax at the rates specified in column (3) for vehicles specified in column 2 (1) (a) against serial no. 2.
10. In this part the expression "Municipal Corporation" or "Municipality" shall have the meaning respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Municipal Corporation's Act, 1959 and Uttar Pradesh Municipality Act, 1916 (as applicable in Uttarakhand).
11. List of non profitable routes described at (c) under serial no. 2 as under:

Dehradun Region	
1. Dehradun-Vikasnagar-Chakrata-Tyuni	12. Vikasnagar-Badkot-Uttarakashi
2. Vikasnagar-Chakrata-Tyuni-Aarakot-Cheeva	13. Purodi-Rawna-Daamta
3. Vikasnagar-Tyuni-Ataal	14. Tyuni-Kathiyan-Daragaad-Keraad
4. Vikasnagar-Chakrata-Lakhamandal	15. Koti-Rajanu
5. Kulhal-Sahiya-Pendulani	16. Anu-Chillhaad
6. Premnagar-Vikasnagar-Kalsi-Nagthaat-Chakrata-Tyuni	17. Naugaun-Pujeli-Rajgarhi
7. Vikasnagar-Koti-Ichhadi-Meenus	18. Raajstar-Rajgarhi
8. Premnagar-Vikasnagar-Yamunabriz-Algarh-Chandogi	19. Kathiyan-Funari
9. Premnagar-Hanumanchatti Via Kalsi-Badkot	20. Munsighati-Dhoira
10. Vikasnagar-Yamunabriz-Naugaun-Purola-Mori-Netwaad-Sankri Road	21. Sahiya-Utpalta
11. Vikasnagar-Yamunabriz-Mussoorie	22. Chakrata to Mangroli motor marg 8.00 km

Pauri Region	
1. Kotdwar-Satpuli-Bagdeu-Baherakhal-Dandanagraja	11. Kotdwar-Rikhanikhal-Panikhal
2. Pauri-Kaljikhal-Bhanti-Mundeshwar	12. Gopeshwar-Sonala-Bachher-Paukhri
3. Pauri Luwali-Kaleshwar	13. Gauchar-Sidholi
4. Kot-Gadkhet	14. Karanprayag-Paukhari
5. Pauri-Bahedarkhal	15. Karanprayag-Nainisen
6. Dhumakot-Saun-Pipli	16. Gopeshwar-Malari
7. Dhumakot-Bamnisen	17. Rudraprayag-Chopra-Gaadidahar
8. Kotdwar-Satpuli-Kandakhal	18. Chandranagar-Bhanaj
9. Satpuli-Dudharkhal	19. Mayali-Panjana
10. Kotdwar-Rikhanikhal	20. Khirshu-Khedakhal-Molkhahal-Nagarshu-Dadakhal

Almora Region	
1. Pithoragarh-Vadda-Jhulaghat	8. Saatsiling-Thal-Didihat-Ogla-Bhagichora-Didihaat-Dunakot
2. Pithoragarh-Jaakhpuran	9. Saatsiling-Thal-Bageshwar
3. Pithoragarh-Vadda-Kwittad	10. Saatsiling-Thal-Berinag-Gangoli Hat And Riogar-Bankot
4. Pithoragarh-Bans-Owalghat	11. Thal-Paukhu-Dharamghar-Pachar
5. Pithoragarh-Encholi-Badawe	
6. Saatsiling-Develthal-Kanalichhina-Pipna	
7. Saatsiling-Thal-Munsyari-Madkot-Joljivi	

Haldwani Region	
1. Lohaghat-Chomel	5. Lohaghat-Mayawati
2. Lohaghat-Rithasahib	6. Lohaghat-Khetikhan-Laluwapani-Champawat
3. Lohaghat-Barakot	7. Champawat-Manch-Taamli
4. Lohaghat-Champawat	

12. In case no revision/amendment in the rates prescribed under this notification is otherwise made vide a notification, an increase of 5 percent in the said rates will automatically become effective on the first day of Financial Year 2025-26 and thereafter every financial year.

By Order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या:21 /IX-1/2024–106/2012
देहरादून:09 फरवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–07/IX–1/106/2012/2019 दिनांक 02 जनवरी, 2019 को अतिक्रमित करते हुए नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं:–

सारणी

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन मोटर यान पर ग्रीन उपकर

क्र.सं.	यान का प्रकार	उपकर की दर (₹ में)	
1	2	3	
1.	परिवहन यान से भिन्न यान के रजिस्ट्रीकरण के समय: (क) मोटर साईकिल (ख) मोटर साईकिल से भिन्न यान (पेट्रोल चलित) (ग) मोटर साईकिल से भिन्न यान (डीजल चलित)	 500 1500 3000	
2.	रजिस्ट्रेशन के दिनांक से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान से भिन्न यान के मोटर यान अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय: (क) मोटर साईकिल (ख) मोटर साईकिल से भिन्न यान (पेट्रोल चलित) (ग) मोटर साईकिल से भिन्न यान (डीजल चलित)	 1000 प्रति पाँच वर्ष 3000 प्रति पाँच वर्ष 5000 प्रति पाँच वर्ष	
3.	परिवहन यान के पंजीयन अथवा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अधीन प्रत्येक बार फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने अथवा नवीनीकरण के समय:	पेट्रोल	डीजल
	(क) 05 वर्ष तक की आयु सीमा वाले वाहन	400	500
	(ख) 05 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक	600	750
	(ग) 10 वर्ष से अधिक परन्तु 15 वर्ष तक	800	1000
	(घ) 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन	1000	1250
4.	अन्य राज्य के वाहनों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश की दशा में प्रत्येक बार प्रवेश करने पर ग्रीन उपकर की दरें निम्नवत् देय होगी: (क) तीन पहिया मोटर यान (ख) चार पहिया हल्का मोटरयान (ग) मध्यम मोटरयान (घ) भारी मोटरयान	 20 40 60 80	

स्पष्टीकरण:

1. अन्य राज्यों के दो पहिया वाहनों, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राज्यों के सरकारी वाहन, कृषि ट्रैक्टर/ट्रैलर, रोड रोलर, कम्बाईन हार्वेस्टर, शव वाहन, एम्बुलेंस, फायर टेंडर तथा सेना के वाहन को ग्रीन सेस से छूट होगी।
2. विद्युत बैटरी, सोलर, हाईब्रिड अथवा सी0एन0जी से चालित वाहनों को उपकर की दरों से पूर्णतः छूट होगी।
3. अन्य राज्य के वाहनों द्वारा एक बार प्रवेश हेतु ग्रीन उपकर का भुगतान पूर्ण दिवस के लिये प्रभावी होगा।
4. अन्य राज्य के वाहन एक बार प्रवेश हेतु नियत ग्रीन उपकर की दर से 20 गुना भुगतान करने पर एक त्रैमास तथा 60 गुना भुगतान करने पर पूरे वर्ष के लिये उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश के पात्र होंगे।
5. त्रैमास तथा वर्ष की गणना उपकर के भुगतान के माह को सम्मिलित करते हुये क्रमशः तीन कैलेण्डर माह एवं बारह कैलेण्डर माह के तुल्य की जायेगी।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification No. /IX-1/2024-106/IX-1/2012 Dehradun: Dated February, 2024.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 21 /IX-1/2024-106/2012
Dehradun: Date 09 February, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (5) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicle Taxation Reform Act, 2003 (Uttarakhand Act No. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 07/IX-1/106/2012/2019 dated 02 January, 2019, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Sl. No.	Description of vehicle	Rates of Cess (in rupees)	
1	2	3	
1.	Motor vehicle other than transport vehicle: (a) Motor cycle (b) Motor vehicle other than motor cycle driven by petrol (c) Motor vehicle other than motor cycle driven driven by deisel	 500 1500 3000	
2.	Motor vehicle, other than transport vehicle, completed fifteen years from the date of its registration, at the time of renewal of certificate of registration as per sub-section (10) of section 41, of the Motor Vehicle Act, 1988: (a) Motor cycle (b) Motor vehicle other than motor cycle driven by petrol (c) Motor vehicle other than motor cycle driven by deisel	 1000 (for every five year) 3000 (for every five year) 5000 (for every five year)	
3.	Every time at the time of registration of a transport vehicle or at the time of issue or renewal of a certificate of fitness under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988:	Petrol	Diesel
	(a) Vehicles with age limit up to 05 years	400	500
	(b) Above 05 years but up to 10 years	600	750
	(c) Above 10 years but up to 15 years	800	1000
	(d) Vehicles older than 15 years	1000	1250
4.	In case of vehicles from other states entering the state of Uttarakhand, the following rates of Green Cess will be payable on each entry: (a) Three wheeler motor vehicle (b) Four wheel light motor vehicle (c) Medium motor vehicle (d) Heavy motor vehicle	 20 40 60 80	

2. **Explanation:**

1. Two wheelers of other states, Central/State Government and other State Government vehicles, agricultural tractors/trailers, road rollers, combine harvesters, hearse, ambulances, fire tenders, army vehicles will be exempted from green cess.
2. Electric battery, Solar, Hybrid or CNG powered vehicles will be completely exempted from the cess.
3. The payment of Green cess for one-time entry by vehicles of other states will be effective for a full day.
4. Other State vehicles will be eligible for entry in the State of Uttarakhand for one quarter on payment of 20 times and for a year on payment of 60 times of the fixed rate of the Green cess.
5. A quarter and year shall be calculated as three calendar months and twelve calendar months respectively including the month of payment of cess.

By Order

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary